द्वितीय माला, खण्ड १—अंक २

११ मई, १९५७ (शनिवार)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

तीन शिलिंग (विदेश में)

25 LSD

# विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . . . | १५ |
| स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . . . | १६ |
| अध्यक्ष का निर्वाचन . . . . . | १६—२२ |
| श्री जवाहर लाल नेहरू . . . . . | १६,१७–१८ |
| श्री सत्य नारायण सिंह . . . . . | १६ |
| सेठ गोविन्द दास . . . . . | १८-१९ |
| श्री डांगे . . . . . | १९ |
| आचार्य कृपालानी . . . . . | १९-२० |
| श्री कर्णी सिंहजी . . . . . | २० |
| श्री महेन्द्र प्रताप . . . . . | २० |
| श्री वि० राजू . . . . . | २०-२१ |
| श्री प्र० के० देव . . . . . | २१ |
| अध्यक्ष महोदय (श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार) . . . | २१-२२ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | २३ |

# लोक-सभा

**शनिवार, ११ मई, १९५७**

लोक-सभा चार बजे समवेत हुई ।

**[सामयिक अध्यक्ष सेठ गोविन्द दास पीठासीन हुए]**

## सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

**अध्यक्ष महोदय :** जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे अब शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं ।

श्री वैंकटा सुब्बैया (अडोनी)
श्री दि० प्र० सिंह (गोंडा)
श्री जि० मंडल (खगरिया)
श्री उ० श्री मल्लयया (उदीपी)
श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर)
श्री संगण्णा (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौसी)
श्री हाल्दर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

यदि और कोई सदस्य रह गये हों, जिनका नाम न पुकारा गया हो, वे भी आ सकते हैं ।

## समाचार भाग १ के बारे में उल्लेख

**श्री बाजपेयी** (बलरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल की कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक-सभा सचिवालय द्वारा जो विवरण प्रसारित किया गया है, उस की ओर में आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं । मेरा अभिप्राय "समाचार—भाग १" से है, जिस में कल की कार्यवाही का सारांश दिया गया है । कल जो मौन का कार्यक्रम हुआ, उस के सम्बन्ध में कहा गया है कि दूसरी लोक-सभा की पहली बठक के महाने अवसर पर सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े रहें । यह नितान्त अशुद्ध है । सदस्य लोक-सभा की पहली बैठक के.....

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई अशुद्धि है, तो उसे देख लिया जायेगा ।

## स्थगन प्रस्तावों के बारें में

**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिदिव कुमार चौधरी तथा अन्य दो माननीय सदस्यों ने दो कामरोको प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं । पहले का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति से तथा दूसरे का पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों के लिए सहायता की व्यवस्था से है । नियमानुसार तो माननीय सदस्य को इस प्रकार के कामरोको प्रस्तावों की सूचना देने का अधिकार है । परन्तु साधारण संसदीय परम्परा यह है कि राष्ट्रपति के संसद् के सम्मुख अभिभाषण से पूर्व भवन में माननीय सदस्यों के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं की जाती । मेरे विचार से इसी परम्परा का अनुसरण करना वांछनीय होगा । अत: मैं अध्यक्ष द्वारा इन दोनों कामरोको प्रस्तावों पर विचार किया जाना उस समय तक के लिये स्थगित करता हूं जब तक कि राष्ट्रपति का अभिभाषण न हो जाये । जब सोमवार, १३ मई, को पुन: सदन की बैठक होगी, उस समय माननीय सदस्य को इन दो कामरोको प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर दिया जायगा । यह स्थगन माननीय सदस्य के उन अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता, जो कि उन को नियमों के अनुसार प्राप्त हैं ।

**श्री त्रि० कु० चौधरी (बरहमपुर)** : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दो प्रस्तावों की सूचना देते समय मेरे सामने इस बात के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं था कि प्रस्तावों में उल्लिखित मामलों की अविलम्बनीयता पर जोर डाला जाये । मैं ने मार्गदर्शन के लिए प्रक्रिया नियमावली देखी । दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम नहीं हैं । मैं आप के निर्णय को मानता हूं और इस बात से सहमत हूं कि प्रस्तावों को स्थगित कर दिया जाय ।

---

## अध्यक्ष का निर्वाचन

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जवाहरलाल नेहरू अब अपना प्रस्ताव पेश करेंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार को जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सत्य नारायण सिंह प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

† **ससद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान् में प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है :

"कि श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार को, जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये ।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों, वे "नहीं" कहें ।

**अनेक माननीय सदस्य** : "हां" ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो विपक्ष में हों, वे "नहीं" कहें ।

"हां" के अतिरिक्त "नहीं" की कोई आवाज नहीं उठी । "हां" वाले जीत गये हैं ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

†मूल अंग्रेजी में

## अध्यक्ष का निर्वाचन

**अध्यक्ष महोदय** : मैं घोषित करता हूं कि श्री म० अनन्त शयनम् अय्यंगार सर्वमत से इस सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं बड़े हर्ष से श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(प्रधान मंत्री, श्री डांगे तथा श्री जयपाल सिंह श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार को अध्यक्ष पीठ तक ले गये)

[अध्यक्ष महोदय (श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार) पीठासीन हुए]

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री।

† **श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और इस सभा के अन्य सभी सदस्यों की ओर से आपके इस उच्च पद पर चुने जाने के लिये आपको सम्मानपूर्ण बधाई देता हूं।

श्रीमान्, आप इस पद के लिये नये नहीं हैं और यदि मैं यह कहूं कि सभा आपको चुनकर अपने को निश्चिंत और सुरक्षित समझती है, तो यह गलत न होगा। हम में से कुछ लोग जो पहली संसद् के भी सदस्य रह चुके हैं—आप के निकट सम्पर्क में आ चुके हैं, जब कि आप इस सभा के अध्यक्ष थे और उसके पहले भी जब आप उपाध्यक्ष थे।

हमारे संविधान के अनुसार अध्यक्ष का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यदि यह कहूं तो गलत न होगा कि लोक-सभा के अध्यक्ष का पद प्रथा और परम्परा के कारण उससे भी कुछ अधिक ऊंचा हो गया है जैसा कि संविधान में बताया गया है। हमारे पहले अध्यक्ष ने इस पद को आभा प्रदान की थी और उनके मार्गदर्शन द्वारा हम ने बहुत सी प्रथाओं का धीरे धीरे विकास किया। उन्होंने हम सब को—इस सभा के सभी सदस्यों को जो उस समय उपस्थित थे—यह सिखाया कि हम किस प्रकार ठीक व्यवहार करें और उन्होंने हमें शिष्टतापूर्वक झिड़कियां भी दीं जब कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं था। इस प्रकार इस सभा की प्रथाओं का धीरे धीरे निर्माण हुआ। यह सभी लोग जानते हैं कि संसदीय सरकार में संविधान में बड़ी शक्ति निहित होती है और हम लोग संविधान की शर्तों को मानने के लिए शपथ द्वारा या अन्य किसी प्रकार बंधे होते हैं, पर केवल संविधान ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। प्रथाओं तथा शिष्टाचार का विकास होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिए और स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार बना लेने के योग्य बनाना चाहिए; दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस सभा को सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक आदर्श होना चाहिए। चूंकि हम लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, देश के विभिन्न भागों, विभिन्न विचारों तथा विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः इस सभा में हमारा जो व्यवहार हो वह भी राष्ट्र के लिए परस्पर शील, सहिष्णुता तथा सहयोग का एक उदाहरण होना चाहिए।

पहले अध्यक्ष ने, जिनका मैंने उल्लेख किया, व्यवहार के सम्बन्ध में हमें अनेक बातें सिखाईं और हम लोगों ने तथा इस सभा ने उनकी स्नेहसिक्त देखभाल में उन्नति की। आप ने जब इस पद को ग्रहण किया उस समय भी आप को पर्याप्त अनुभव था और हमें विदित था कि हम एक उपयुक्त व्यक्ति को चुन रहे हैं और आप ने पहले अध्यक्ष का ही अनुसरण किया। अतः धीरे धीरे यह प्रथायें विकसित हुई हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस संसद् के इस थोड़े से जीवन

---

† मूल अंग्रेजी में

में भी कह सकते हैं कि हम ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली हैं। सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् यह नई संसद् समवेत हो रही है और हमें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमने महान राष्ट्रीय कार्यों को करने का निश्चय किया है। समय समय पर हमें महान कठिनाइयों, संकटों का सामना करना पड़ेगा पर हमने स्वयं जानबूझ कर ऐसा किया है और हमें अपने निश्चय को सफलतापूर्वक पूरा करना है।

इस निश्चय को पूरा करने में इस सभा को महत्वपूर्ण कार्य करना है; यह सभा केवल कानून ही नहीं बनायेगी बल्कि कुछ ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों को जन्म देगी जो जनता को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकेंगी। अतः यह आवश्यक है कि यह सभा इस भार को और इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को सद्भावना तथा योग्य नेतृत्व के अधीन समझने का और उसको निभाने का प्रयत्न करे। श्रीमान् जी हमें पता है कि आप को इस पद का जो पुराना अनुभव है उस से हम अच्छा नेतृत्व मिलेगा और यदि हम किसी समय पर सद्मार्ग से विचलित होंगे तो आप हमें उचित मार्ग पर लायेंगे।

मैं इस पद पर आप का फिर स्वागत करता हूं और इस सभा की ओर से आप को बधाई देता हूं।

**सेठ गोविन्द दास** (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपको इस चुनाव पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सन् १९२३ में मैं यहाँ पर आया था। उस समय यहाँ पर एक नामज़द अध्यक्ष थे सर फ्रेड्रिक व्हाइट। १९२५ में सब से पहले उस समय की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और श्री विट्ठल भाई पटेल केवल दो मतों से उस चुनाव में सफल हुए थे। उस के बाद जब जब कांग्रेसवादी इस सदन में रहे और इस सदन का रूप बदलता रहा तब तब तक मैंने स्वराज्य प्राप्ति के पूर्व और स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् अनेक अध्यक्षों को देखा है और उनके कार्यों का अनुभव भी किया है। आपका काम भी मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं; पहले उपाध्यक्ष के रूप में, और फिर अध्यक्ष के रूप में।

भारत में प्रजातंत्र कोई नई चीज़ नहीं है। हज़ारों वर्ष पहले यहां प्रजातंत्र था। लिच्छिवियों का प्रजातंत्र था, व्रिज्जिकों का प्रजातंत्र था उस समय के अनेक प्रजातंत्र इतिहास में हम मिलते हैं। उस समय भी इसी प्रकार मतदान हुआ करते थे, सदन के अध्यक्ष हुआ करते थे और वे अपनी ज़िम्मेदारी जिस प्रकार निभाते थे, वह भी हमें इतिहास में मिलता है।

हमारे आधुनिक काल का प्रजातंत्र नया है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु भारतीय संस्कृति और इतिहास से हमें इस नये प्रजातंत्र के चलाने में भी प्रेरणा मिलती है आज हमारा प्रजातंत्र जो संसार का सब से विशाल प्रजातंत्र है, उसे हम हर प्रकार से सफल बनाना है। लोक-सभा उसका सर्वोच्च सदन है तथा आप प्रतीक हैं उस प्रजातंत्र के। आपको यहां केवल सरकार का ही नहीं पर जितने भी दल हैं तथा उनके जितने भी सदस्य हैं उन सब का रक्षण करना है। बड़े भारी उत्तरदायित्व का यह कार्य है। इस से भी बड़ उत्तरदायित्व का एक कार्य आप पर है और वह यह है कि आपको सदन में सब की रक्षा के साथ अपनी स्वयं की रक्षा भी करनी है। आप के ऊपर कोई अपील नहीं है। आप के ऊपर कोई एसी चीज़ नहीं है जहां कोई बात लाई जा सके। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी आप की स्वयं की रक्षा के सम्बन्ध में बहुत बड़ी हो जाती है।

इस रक्षा के साथ साथ अध्यक्ष में और कुछ गुणों का समावेश भी आवश्यक है। निष्पक्षता, ईमानदारी, यह सब गुण तो हैं ही, पर इन सब गुणों में सर्वोपरि गुण एक और है और वह स्वभाव की मृदुता है। स्वभाव की मृदुता इस पद के लिए नितान्त आवश्यक है। भगवान् ने वह मृदुता

आप में दी है और हम यह आशा करते हैं कि वह मृदुता बराबर उसी प्रकार क़ायम रहेगी जिस प्रकार अब तक क़ायम रही है।

जब भी मैं इस सदन में बैठता हूं तब मुझे बिजली द्वारा चमकता हुआ यह वाक्य सदा दिखा करता है "धर्मचक्र प्रवर्तनाय"। यहां मैं धर्म का अर्थ व्यापक रूप में लेता हूं, मज़हब या रिलीज़न के रूप में नहीं और इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जहां धर्म की जय होती है वहां सब प्रकार की जय होती है। सब से बड़ा लोकतंत्री प्रजातंत्र हमने यहां पर क़ायम किया है। संसार में प्रजातंत्र भविष्य में किस प्रकार चलते हैं, वह बहुत दूर तक हमारे प्रजातंत्र की सफलता पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारतीय प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च सदन में प्रजातंत्र सफल होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक इतिहास बना कर जायेंगे। मैं आप को फिर से इस चुनाव पर हार्दिक बधाई देता हूं।

†**श्री डांगे (बम्बई नगर-मध्य)** : श्रीमान्, आपके अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मैं भी आपको बधाई देता हूं।

मुझे इस सभा का पिछला अनुभव कुछ नहीं है इस कारण मैं प्रधान मंत्री की बात पर पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप के चुनाव से सभा अपने को निश्चित और सुरक्षित समझ सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नये सदस्यों का पूर्ण संरक्षण करें, मुझ विश्वास है कि आप विरोधी दलों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखेंगे और उन परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगें जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं।

†**आचार्य कृपलानी (सीतामढ़ी)** : श्रीमान्, अध्यक्ष के इस महान् पद पर दोबारा निर्वाचित होने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। गत निर्वाचनों के बाद जो व्यवस्था हुई उससे ऐसा ख़्याल हो गया था कि कोई ऐसी बात नहीं की जायगी जिसमें किसी प्रकार का कोई ख़तरा हो। इस कारण मैं समझता हूं कि आपका चुनाव अनिवार्य ही था। हमें प्रसन्नता है कि आप पुनः निर्वाचित हुए हैं। पुराने लोगों को अपनी पुरानी जगहों पर देख कर हमेशा प्रसन्नता होती है।

श्रीमान् आप का काम केवल कार्यवाही का संचालन करना ही नहीं है—बल्कि आप सभा के विशेषाधिकारों के अभिरक्षक हैं। यदि इस सभा की स्वतन्त्रता घटती है तो जन-साधारण की स्वतन्त्रता भी घटती है। काम के संचालन के लिये आपको पूरे अधिकार हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस अधिकार को विरोधी दलों के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे। आपका कार्य बहुत कठिन है। आपको न केवल सदस्यों के बल्कि विभिन्न दलों के मनोविज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है। आपको कई बार कई बातें सहन करनी पड़ती हैं। यदि सभा की स्वतन्त्रता का कोई अर्थ है तो यही है कि विरोधी दलों को भी काम करने की पूरी पूरी आजादी हो। जिनके पास पहले ही सत्ता है उन्हें स्वतन्त्रता की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये इस सभा के सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष ने यह परम्परा स्थापित की थी कि अध्यक्ष को निर्वाचित होने के बाद किसी दल से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। यह परम्परा ब्रिटेन से हमने सीखी है। मुझे पता नहीं है कि इस प्रथा को जिसे श्री विट्ठलभाई पटेल ने स्थापित किया था, अब क्यों नहीं रखा जा रहा इस प्रथा के बिना अध्यक्ष का पद भी दूसरे पदों के समान हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रथा को पुनः जीवित किया जायेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

में आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी सदस्य आपसे संतुष्ट रहेंगे ।

†**श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर)** : श्रीमान्, स्वतन्त्र संसदीय दल तथा अपनी ओर से में आपको बधाई देता हूं । हममें से जो लोग पहले संसद् के सदस्य रह चुके हैं उन्हें ज्ञात है कि स्वर्गीय श्री मावलंकर तथा आपने बहुत स्वस्थ परम्परायें स्थापित की हैं । आप सदैव दलबन्दी से ऊपर रहे हैं और निष्पक्ष रूप से कार्य करते रहे हैं । मुझे कोई सन्देह नहीं कि आगामी वर्षों में भी आप उसी निष्पक्षता से काम करेंगे ।

में संसद सदस्यों से भी एक प्रार्थना करूंगा—जब पांच वर्ष पहले हम लोग यहां आये तब विभिन्न दलों के सदस्यों के बीच पारस्परिक मतभेद की भावना थी, किन्तु समय के साथ साथ वह भावना समाप्त होती गई और हम सब दोस्तों और साथियों की तरह आपस में व्यवहार करने लगे । इस प्रकार सभा का कार्य वे रोक टोक चलता रहा । इस समय मेरी यही प्रार्थना है कि हमें संसद् का काम सहयोग से चलाना चाहिये । हम सब लोग देश की भलाई के लिये काम करें । भारत का विष्य उज्ज्वल है । चाहे कोई किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो हमें अपने देश की उन्नति के लिये सहयोग करना चाहिये ।

†**श्री महेन्द्र प्रताप (मथुरा)** : श्रीमान् में आपको एक अच्छे ब्राह्मण तथा हिन्दू धर्म के एक प्रतिनिधि होने के नाते बधाई देता हूं, इस कारण नहीं कि आप कांग्रेस दल के सदस्य हैं । यह दल देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, देश का प्रतिनिधित्व हम स्वतन्त्र सदस्य ही करते हैं । मैं आपको राष्ट्र की ओर से बधाई देता हूं । मुझे आशा है कि नई परम्परायें स्थापित होंगी । मैं चाहता हूं कि हमें कानून पर कानून ही नहीं बनाते रहना चाहिये—इससे लोगों को क्या लाभ होगा—केवल वकीलों को ही काम मिलेगा । जनता कानूनों के चक्र में फंस जायगी । हमें तो अपनी जनता के स्तर को ऊंचा करना चाहिये ; एक अच्छा व्यक्ति अच्छे कानून की तुलना में अधिक अच्छा काम कर सकता है । यदि न्यायाधीश की कुर्सी पर कोई बुरा आदमी बैठ जाये तो वह शरारत ही करेगा । हमें नैतिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिये । मैं आपको फिर से बधाई देता हूं ।

†**श्री वि० राजू** (विशाख पटनम्) : इस उच्च पद पर निर्वाचित होने के लिये आपको बधाई देते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । हम इस सभा में नये हैं, परन्तु देश में क्रांति और संघर्ष की बड़ी पुरानी परम्पराओं के प्रतिनिधि हैं । हम सभा में एक नयी भावना, एक नयी प्रेरणा लेकर आये हैं । कल शाम से ही, मैं एक बात देख रहा हूं कि हम नये सदस्यों में संसद् की प्रथाओं और संसदीय आचरणों का एक डर सा बैठाने का प्रयास किया जा रहा है । दुर्भाग्य-वश, मैं नहीं जानता कि इस संसद् का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था । पर, मैं जानता हूं कि यह संसद् इस भवन की चहार दीवारी के बाहर ही पैदा हुई थी । हमारे क्रान्तिकारी आन्दोलन के फलस्वरूप ही इस संसद् का जन्म हुआ था; और इसीलिये हमें उत्तराधिकार में जो संसदीय प्रथायें मिली हैं वे प्रथायें विदेशी साशन द्वारा बनाई गई थीं, उस विदेशी शासन शासक द्वारा बनाई गई थीं, जिसकी अपनी संसद् में इससे पहले झगड़े चल चुके थे और उसके फलस्वरूप ही उसने ऐसी प्रथायें बनाई थीं ।

दूसरी बात यह है कि इस देश की क्रांति की विरासत सम्भालने वालों ने, उसे एक बड़े ही साहसपूर्ण और सर्वसम्मत ढंग से सम्भाला है । इसीलिये, यह डर पैदा हो जाता है कि प्रथाओं के पालन पर बहुत अधिक ज़ोर देने से इस सभा के सदस्यों की ही नहीं, बल्कि इस सभा में

---

† मूल अंग्रेजी में

पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पा सकने वाले दलों या लोगों के व्यक्तीकरण का भी गला घुट जायेगा। इसीलिये, मैं अपनी और अपने दल की ओर से, आश्वासन देता हूं कि हम बैठक-काल में उचित और गरिमायुक्त आचरण ही करेंगे। लेकिन, ग्यारह बजे से पांच बजे शाम तक शासक दल के साथ हमारा संघर्ष ही चलता रहेगा। और मैं, चाहता हूं कि इस संघर्ष में आप विरोधी दल का उचित रूप से संरक्षण करते रहें, क्योंकि इस सभा में भी सरकारी दल और विरोधी दल समान शक्ति के साथ नहीं जूझ रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आप लिखित नियमों का उपयोग इस प्रकार नहीं करेंगे जिससे बहुसंख्यक दल को ही फ़ायदा हो तो विरोधी दल के हम लोग यह समझ लेंगे कि हमारे संघर्ष में एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक भी है, और उसने दोनों ही दलों को संघर्ष में समान अवसर दिया है। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहाण्डी) : मैं, अपनी और गणतन्त्र परिषद् की ओर से, आपको इस उच्च पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के लिये बधाई देता हूं। अन्य माननीय सदस्यों ने अवसर के उपयुक्त उद्गार व्यक्त कर ही दिये हैं। आप इस उच्च पद पर सत्य-निष्ठा, निष्पक्षता और गरिमा के साथ आसीन रह चुके हैं, और अब पुनः सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन आपके गुणों का द्योतक है।

आप हमारे अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। हम चाहते हैं कि आप उचित रूप में हमारा पथ-प्रदर्शन करें, जिससे कि अल्पसंख्यक सदस्यों को खास तौर पर पीछे बैठने वाले सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा पूरा अवसर मिल सके। आशा है कि आप हमें—गणतन्त्र परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को—यह अवसर देंगे कि हम अपने निर्वाचकों की आशायें पूरी कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपने लोक-सभा के इस गौरवपूर्ण पद के लिये मेरा सर्वसम्मति से जो निर्वाचन किया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं लोक-सभा के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा अपने सम्बन्ध में प्रकट किये गये कृपापूर्वक उद्गारों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

मैं इस सभा में १९३४ में आया था। उस समय यह केन्द्रीय विधान सभा कहलाती थी। उस समय से ही, मैं लगातार इसका सदस्य रहा हूं। मैंने इसके सभी परिवर्तनों और इसमें होने वाली सभी रद्दोबदल को स्वयं देखा है। पुराने शासन के दौरान में, मुझे, इस सभा में और सभा के बाहर स्वाधीनता के लिये संघर्ष करने वाले महान् नेताओं के पथ-प्रदर्शन में, विरोधी-दल में काम करने के कई अवसर मिले थे। इसलिये, मैं विरोधीदल की कठिनाइयों को जानता हूं। मैं विभिन्न दलों के हितों और इस समूची सभा के विशेषाधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का सुरक्षण करने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

मुझे १९४७ से सरकार के कार्य-संचालन का कुछ निकटता से अध्ययन करने का अवसर मिला है। मैं १९४८ में और फिर एक बार १९५२ में इस सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था और फिर मार्च १९५६ में अध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचित हुआ था। इसलिये, मुझे संसदीय लोकतांत्रिकता के कार्य का स्वयं ही अध्ययन करने का यथेष्ट अवसर मिला है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं लोकतान्त्रिकता की नींव मज़बूत करने और संसद् की परम्पराओं तथा प्रथाओं की मर्यादा बनाये रखने में कोई कसर नहीं रहने दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा लोकतन्त्र संसार भर में सबसे बड़ा है। मुझे आशा है कि यह संसद् कुछ ऐसी परम्परायें बनायेगी, जो केवल हमारी अपनी संसद् को ही नहीं बल्कि संसार की अन्य संसदों को भी मान्य होंगी। मैं इस संसद् को आपके सहयोग से, विधिनिर्माण और देश के शासन के मामले में जनता की राय व्यक्त करने का एक यथासम्भव प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयास करूंगा।

संसदीय लोकतांत्रिकता में विभिन्न दलों का रहना आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता, जैसा श्री विजयराम राजू ने किया है, कि वे दल सभी विषयों में एक दूसरे से झगड़ें। दलों में काफी सीमा तक समझौता भी हो सकता है। मुझे आशा और विश्वास है कि सभी दलों में सहयोग रहेगा, और यदि कभी वे किसी मामले में एक दूसरे के विरुद्ध भी होंगे, तो भी बिना किसी मनोमालिन्य के ही विरोध करेंगे और पराजय से उनमें आपस में कटुता पैदा नहीं होगी। इस प्रकार की भावना अपनाने से हमारी लोकतांत्रिकता की उत्तरोत्तर बृद्धि होती जायेगी।

प्रथम संसद् में हमने काफ़ी अच्छी तरह से कार्य किया था। इस द्वितीय संसद् में भी चर्चा के लिये बड़े-बड़े महत्वपूर्ण मसले आयेंगे, क्योंकि द्वितीय संसद् का काल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल भी है। मुझे आशा और विश्वास है कि इस सभा के सभी दल और समूह परस्पर आत्मीयता और एक दूसरे के हितों का सम्मान करने की भावना पैदा करके, देश और समुदाय के सर्वोत्तम हितों के लिये जुट कर कार्य करेंगे।

श्री कृपालानी ने इस प्रथा का उल्लेख किया है कि अब मुझे कांग्रेस दल का सदस्य नहीं रहना चाहिये। यद्यपि मैं कांग्रेस दल की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इस पद पर इस प्रकार कार्य करूंगा कि सभी दलों में पूर्ण विश्वास पैदा हो सके। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा, और इस सभा की प्रथाओं तथा परम्पराओं को अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा।

मुझे यह उच्च पद सौंपने के लिये मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं, और आश्वस्त करता हूं कि मैं देश की संसदीय लोकतांत्रिकता की परम्पराओं की मर्यादा बनाये रखने का और आपको मुझसे जो आशायें हैं उनकी पूर्ति करने का भरसक प्रयास करूंगा।

**इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १३ मई, १९५७ को राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घण्टे बाद तक के लिये स्थगित हुई।**

# दैनिक संक्षेपिका

## [शनिवार, ११ मई, १९५७]


पृष्ठ

**सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण** . . १५

८ सदस्यों ने शपथ ली या प्रतिज्ञान किये

**स्थगन प्रस्ताव** . . . १६

(क) पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न के अभाव की स्थिति और (ख) बेतिया से आये शरणार्थियों को सरकार की सहायता सम्बन्धी स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री त्रि० कु० चौधरी, सुबिमन घोष और गोपाल ने दी थी, १३ मई, १९५७ तक विचार करने के लिये स्थगित कर दिया गया

**अध्यक्ष का निर्वाचन** . . . १६–२२

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार लोक-सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुये

**सोमवार, १३ मई, १९५७ के लिय कार्यावलि–**

संसद् के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी और कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा ।